



SPECIAL SUMMARY REVISION OF PHOTO ELECTORAL ROLLS INTENSIVE NATURE - 2019



**Turning 18 on 1st January 2019 or Before ?
or
Not Registered as Voter even though you became 18+ now ?**

“ACCESSIBLE ELECTION”

Who can apply :-

- ❖ An Indian Citizen
- ❖ 18 years of age on or before 1st January 2019
- ❖ Ordinarily resident of polling station.
- ❖ Not Disqualified on any of the grounds viz. Not a citizen of India or of unsound mind declared by any competent court or Disqualified from Voting due to specified corrupt practices or offences relating to Elections.
- ❖ Forms may either be obtained and submitted to Voter Centre of your Assembly/Designated centre or be sent by post to Voter Centre of your Assembly or you may apply online at [www. ceodelhi.gov.in](http://www.ceodelhi.gov.in)

BE VIGILANT

- ❖ Draft Electoral Roll of NCT of Delhi is available on www.ceodelhi.gov.in and at all Designated Locations.
- ❖ Check your name in voter's list (Electoral Roll) by Voter's name (<http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchtest.aspx>), www.nvsp.in or By Voter ID No. (<http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchidcard.aspx>) or by sending SMS to 7738299899 by typing EPCI <space>voter ID Card No.
- ❖ For Voting, your name in Electoral Roll is mandatory.
- ❖ Never have name in the voter list at more than one location. It is a criminal offence.

Period of filling claims and objections
1st September, 2018 (Saturday)
to
31st October, 2018 (Wednesday)

Disposal of Claims and Objections
Before 30th November 2018
(Friday)

Final Publication of Electoral Rolls
By 04th January 2019
(Friday)

FORM - 6	FORM - 6A	FORM - 7	FORM - 8	FORM - 8A
<ul style="list-style-type: none"> • For new Enrolment or for change of address from one Assembly Constituency to another Assembly Constituency. 	<ul style="list-style-type: none"> • For Overseas Indians holding Indian Passport 	<ul style="list-style-type: none"> • For deletion of existing name or objection against name inclusion in Electoral Rolls. 	<ul style="list-style-type: none"> • For Modifications / Corrections of entries in the Electoral Rolls. 	<ul style="list-style-type: none"> • For shifting / change of address within same Assembly Constituency



CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

Old St. Stephen's College Building, Kashmere Gate, Delhi-110006
HELP LINE No. - 1950 / Toll Free No. - 1800111400

फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

गहन प्रकृति - 2019

कोई मतदाता न छूटे



**क्या आप 1 जनवरी 2019 को या उसके पहले 18 साल के हो रहे हैं ?
या
आप 18 साल के हो चुके हैं, फिर भी आप मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं ?**

“सुगम चुनाव”

कौन आवेदन कर सकता है

- ❖ एक भारतीय नागरिक
- ❖ 1 जनवरी 2019 को या उसके पहले 18 साल की आयु हो जाने पर
- ❖ मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी
- ❖ इनमें से किसी एक कारण से अयोग्य न होना जैसे की भारत का नागरिक नहीं है या विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है या निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने से वर्जित किया गया हो।
- ❖ फॉर्म आप अपने सम्बन्धित मतदाता पंजीकरण केन्द्र / नामित स्थानों से प्राप्त कर वही पर भर कर दे सकते हैं या डाक द्वारा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किये जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी www.ceodelhi.gov.in पर कर सकते हैं।

जागरूक रहें

- ❖ दिल्ली की प्रारूप (Draft) मतदाता सूची www.ceodelhi.gov.in पर तथा सभी नामित स्थानों पर उपलब्ध है।
- ❖ मतदाता सूची में अपना नाम देखें मतदाता नाम से (<http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchtest.aspx>), (www.nvsp.in) या मतदाता पहचान पत्र संख्या से (<http://ceodelhi.gov.in/OnlineErms/electorsearchidcard.aspx>) या EPIC<Space>Voter ID Card No. लिखकर 7738299899 पर SMS करें।
- ❖ मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है !
- ❖ कभी भी एक से ज्यादा स्थान पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज न कराएं। यह एक दंडनीय अपराध है।

दावे तथा आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि

1 सितंबर 2018 (शनिवार)

से

31 अक्टूबर 2018 (बुधवार)

दावों और आपत्तियों का निपटान

30 नवंबर 2018 से पहले

(शुक्रवार)

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

04 जनवरी 2019 तक

(शुक्रवार)

फ़ार्म-6

- नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए

फ़ार्म - 6A

- भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए

फ़ार्म - 7

- निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिए या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए

फ़ार्म - 8

- निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए।

फ़ार्म - 8A

- एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दशा में



मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हेल्पलाइन नं०-1950 / टोल फ्री नं०-1800111400

